न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 229/2016
पंजीयन दिनांक 21.07.2016

(1). कालूलाल पिता लालू जाति जाट निवासी सारगपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
(2). उदयलाल पिता कालूलाल जाति जाट निवासी सारगपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
(3). गणेश पिता हमेरा जाति सुथार निवासी सारगपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलान्टगण

बनाम

(1). ऊँकारलाल पिता परथा जाति गूर्जर निवासी सारगपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
(2). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला, तहसील डूंगला,जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अतंर्गत धारा 223 राज0काश्त0अधि0 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला
प्रकरण संख्या 22/2016 निर्णय एवं डिकी दिनांक 01.07.2016

उपस्थित वक्त बहस-(1). छोगालाल जाट- अधिवक्ता अपीलांट
(2). सावन श्रीमाली- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 2

निर्णय **दिनांक 28.06.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183,188 के अन्तर्गत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की मौजा सारंगपुरा की आराजी संख्या 338/654 रकबा 0.5060 हैक्टेयर जो कि आबादी क्षेत्र से जुड़ी हुई होने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बदनीयत से वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी पर अतिकमण कर लिया जिस पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पत्थरगढ़ी का आदेश लेकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक 24.06.2015 को उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात को राजस्व अधिकारियों से नपवाने पर उक्त वर्णित सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का अतिकमण होने की पुष्टि हुई। साथ ही अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 भी अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के साथ-साथ उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर अतिकमण करने हेतु आमादा है। अन्त मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने स्वयं की उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल कर वादी की उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात को अतिकमण मुक्त कराने एवं अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने एवं तदनुसार डिकी पारित किये जाने की प्रार्थना की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2016 को उक्त प्रकरण के संबंध में निर्णय पारित करते हुए आदेशित किया कि मौजा सारंगपुर की उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी संख्या 338/654 रकबा 0.5060 हैक्टेयर भूमि पर से प्रतिवादी संख्या 1 व दिगर व्यक्ति का कब्जा हटवाया जाकर वादी को सुपुर्द कराया जावे, तदनुसार डिकी पारित की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिकी दिनांक 01.07.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने यह अपील दिनांक 20.07.2016 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्गण ने अपील में यह तथ्य अंकित किये कि उक्त प्रकरण में अपीलांट्गण ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.04.2016 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा हेतु अवसर चाहा। तत्पश्चात दिनांक 01.07.2016 को पत्रावली लोक अदालत केम्प कोर्ट पिराना में नियत की गयी, जहां अपीलांट संख्या 1 प्रतिवादी ने उपस्थित होकर बयान दर्ज करवाये परन्तु बिना जवाबदावे के वादपत्र डिकी किया जाकर रेस्पोडेन्ट के खाते मे दर्ज आराजीयात का कब्जा दिलाये जाने का निर्णय एंव आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी तथ्य अंकित किये कि उक्त वर्णित विवादित आराजीयात पूर्व में बिलानाम होकर अपीलांट संख्या 1 के कब्जे में चली आ रही थी जिसे गलत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी को आवंटित कर दिया। आवंटन दिनांक से आज तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का उक्त वर्णित विवादित आराजीयात पर कब्जा नहीं रहा है। उक्त वर्णित विवादित आराजीयात अपीलांट्गण के कब्जे काश्त में होते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी को आवंटित कर दी गयी जिसकी अपीलांट्गण ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ में आवंटन निरस्त करवाये जाने हेतु निगरानी प्रस्तुत कर रखी है

जो वर्तमान में जैरकार है। निगरानी के जैरकार रहते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने उक्त वर्णित विवादित आराजीयात की गलत रूप से पत्थरगढ़ी करवा कर कब्जेयाबी का वादपत्र प्रस्तुत कर दिया जिसमें अपीलांट्गण का जवाबदावा लिये बगैर वादपत्र वादी रेस्पोडेन्ट डिक्री किये जाने का निर्णय पारित कर दिया, जिसकी अधिनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने डिक्री भी मुर्तिब नहीं की। साथ ही यह भी तथ्य अंकित किये कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रकरण जवाब हेतु नियत था, जिसे लोक अदालत में नियत किया गया, जिसकी सूचना पर अपीलांट संख्या 1 ने लोक अदालत उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब हेतु अवसर चाहा फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट संख्या 1 प्रतिवादी के बयान मुर्तिब कर उक्त बयानो के आधार पर बिना किसी राजीनामे के प्रकरण लोक अदालत में निर्णित कर रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी को अपीलांट्गण से कब्जा दिलाये जाने की डिक्री पारित कर दी जो अपने आप मे अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2016 को निरस्त फरमायी जाने की डिक्री प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में जवाब हेतु नियत था जिसे लोक अदालत में नियत किया जाकर बिना पक्षकारान की सहमति से निर्णित कर दिया जो कि लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उक्त तथ्य की पुष्टि के संबंध मे विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांत आर0एल0डब्ल्यु0 2008 पार्ट-2 पेज 975 का मौखिक हवाला दिया। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2016 को निरस्त फरमायी जाने की डिक्री प्रदान किये जाने का निवेदन करते हुए बहस समाप्त की।

हमने विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी। दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी उक्त वर्णित विवादित आराजीयात का अभिलिखित खातेदार है, जिसे उक्त आराजीयात पूर्व में आंवटित होकर गैर खातेदारी में दर्ज होने के पश्चात खातेदारी मिली है। लोक अदालत में अपीलांट संख्या 1 प्रतिवादी ने उपस्थित होकर पत्रावली में कोई विरोध दर्ज नही करवाया है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सहमति से पारित किया जाना सिद्ध होता है। अन्त में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 को विधी सम्मत बताते हुए अपील अपीलांट खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 06.04.2016 को पत्रावली वास्ते जवाब हेतु नियत किया गयी जिसके लिए आगामी तारीख पेशी 17.05.2016 नियत की गयी, जो कि

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06.04.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है। तत्पश्चात दिनांक 17.05.2016 से लेकर प्रकरण के लोक अदालत कैम्प पीराना में नियत किये जाने तक की विभिन्न तारीख पेशीयों में पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं हुआ। तत्पश्चात दिनांक 01.07.2016 को प्रकरण लोक अदालत कैम्प में बिना पक्षकारान की सहमति व बिना राजीनामें के निर्णित कर दिया गया जो न्यायोचित नहीं है क्योंकि लोक अदालते विशुद्ध रूप से पक्षकारान के मध्य सुलह व राजीनामे से सबंधित है जिसका स्पष्ट उल्लेख माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांत आर0एल0डब्ल्यु0 2008 पार्ट-2 पेज 975 पर अंकित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2016 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर, अजसरे तनकीवार नवनिर्णय पारित करे।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लोटायी जावे।
निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)